न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : श्री नवनीत कुमार, आई0ए0एस0
अपील संख्या : 52/2016

श्री सुगनाराम पुत्र श्री भानाराम जाति मीणा, निवासी हंसासर, तहसील व जिला झुंझनूं — अपीलान्टस
(वारिसान–श्री हजारीलाल, श्री रामसिंह, श्री नरेन्द्र कुमार, सिलोचना पि0 श्री सुगनाराम पुत्र श्री भानाराम जाति मीणा, निवासी हंसासर, तहसील व जिला झुंझनूं)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज — रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति :

1. श्री विजय भादाणी – वकील अपीलान्ट
2. श्री मोतीलाल –पैरोकार राजस्थान सरकार

निर्णय

दिनांक :– 18–03–2026

यह अपील अपीलान्ट श्री सुगनाराम पुत्र श्री भानाराम जाति मीणा, निवासी हंसासर तहसील व जिला झुंझनूं के द्वारा आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–03–2014 के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत 23(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट को बतौर भूतपूर्व सैनिक के नाते आवंटन अधिकारी के द्वारा दिनांक 19–06–2004 को 14 एमकेडी के मु0नं0 167/40 की 24–00 बीघा भूमि उपनिवेशन तहसील, नाचना–1 में आवंटन किया गया मगर तहसील से रिपोर्ट आने पर कि उक्त मुरब्बा नम्बर में किला नम्बर 15 ता 25 अन्य भूतपूर्व सैनिक को आवंटित है। इस कारण शेष बची भूमि का पट्टा जारी कर दिया जाये। फर्द अहकाम दिनांक 10–03–2014 के द्वारा सहमति देने हेतु लिखा गया जबकि अपीलान्ट की कोई सहमति नहीं ली गयी। अपीलान्ट अपाहिज व्यक्ति है। अलग–अलग भूमि होने के कारण उसे पूर्णरूप से काश्त नहीं कर सकेगा, इस कारण अपीलान्ट को एक ही मुरब्बे में आवंटन कर दिया जाये। अपीलान्ट ने अदालत मातहत में निवेदन किया कि उसे एक ही जगह भूमि दी जावे मगर उन्होने दिनांक 26–05–2014 को 14–00 बीघा भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया तथा शेष भूमि अन्य जगह करने के आदेश दे दिये गये जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलान्ट अलग–अलग भूमि लेना नहीं चाहता है व एक ही जगह भूमि आवंटन

करवाना चाहता है क्योंकि वह अपाहिज है, चल फिर नहीं सकता है। इस कारण अलग–अलग भूमि काश्त नहीं कर सकता है। अदालत मातहत की तमाम कार्रवाई अपीलान्ट के पीठपीछे व एकतरफा तौर पर की गयी है साक्ष्य अधिनियम के तहत अपीलान्ट के विरूद्ध पढी नहीं जा सकती। इस कारण आदेश निरस्त योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को कोई नोटिस व सूचना नहीं दी गयी तथा ना ही उसकी विधिवत रूप से तामील करवाई गयी है जो विधिसम्मत नहीं है। विधिवत तामील करवाना आज्ञापक है और ऐसे आज्ञापक आदेशों का उल्लंघन करके अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक व राज्यपक्ष की ओर से पैरोकारराज उपस्थित हुए तथा अपील पर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान अभिभाषक अपीलार्थी ने कहा कि अपीलार्थी को दिनांक 28–01–1985 को 22–05 बीघा कमाण्ड भूमि पाने का सक्षम पात्र घोषित कर रखा था। आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 19–06–2004 को उपनिवेशन तहसील, नाचना–1 के चक 14 एमकेडी के मु0नं0 167/40 में 24–00 कमाण्ड भूमि आवंटन की गयी थी। तहसील उपनिवेशन, नाचना–1 की रिपोर्ट अनुसार उक्त मुरब्बे में कि0नं0 15 ता 25 अन्य भूतपूर्व सैनिक को आवंटित होने से अपीलार्थी को शेष बची कि0नं0 1 ता 14 में 14–00 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन आदेश जारी कर दिया गया। अपीलार्थी को आवंटित की गई भूमि जो अन्य भूतपूर्व सैनिक को आवंटित थी, के बदले अन्य भूमि अपीलान्ट को आदिनांक आवंटन नहीं की गयी। अपीलार्थीगण के पिता श्री सुगनाराम का देहान्त हो चुका है। अपील अनुसार पूर्व में आवंटित भूमि को निरस्त कर एक ही जगह भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया गया था परन्तु अब वकील अपीलार्थीगण ने सुगनाराम की पात्रता 22–05 बीघा कमाण्ड में से शेष 08–05 बीघा कमाण्ड भूमि अपीलार्थीगण के नाम आवंटित करने का निवेदन किया।

इसी संबंध में पैरोकारराज की बहस सुनी गई। पैरोकारराज का कथन है कि भूतपूर्व सैनिकों को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 12–क के अन्तर्गत भूमिहीन की पात्रता मानकर आवंटन सलाहकार समिति के मार्फत जरिये लॉटरी भूमि आवंटन की जाती है। अपीलार्थीगण के पिता की पात्रता 22–05 बीघा कमाण्ड थी जिसमें से अपीलार्थी श्री सुगनाराम को 14–00 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया था तथा पात्रता से रही शेष 8–05 बीघा कमाण्ड भूमि के संबंध में नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रकरण अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को भिजवाया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। उभयपक्षों की बहस सुनी एवं मनन किया जिसके आधार पर विवेचन के तौर यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलान्ट श्री सुगनाराम की पात्रता से शेष रही 08–05 बीघा कमाण्ड भूमि की आवंटन की कार्रवाई शेष है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। भूतपूर्व सैनिकों को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 12–क के

अन्तर्गत भूमिहीन की पात्रता अनुसार भूमि आवंटन की जाती है। अपीलार्थीगण के पिता श्री सुगनाराम के नाम से 14–00 बीघा कमाण्ड भूमि का जारी आवंटन आदेश यथावत रखा जाता है। शेष आवंटन योग्य भूमि के संबंध में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उक्त प्रकरण में आवश्यक जांच करें और यदि अपीलान्ट के वारिसों के नाते पात्रता से शेष रहीं भूमि के आवंटन का अधिकार है, तो नियमानुसार समीक्षात्मक परीक्षण कर भूमि आवंटन करें।

निर्णय की प्रति व अधीनस्थ रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जाकर प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18–03–2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

18/3/2026

(नवनीत कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर